# भारत सरकार
## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
## क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
## Ministry of Environment, Forest and Climate Change
## Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com


पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 26 / 2016 / एफ.सी. /269

सेवा में,

दिनॉकः 29-8-16

विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

**विषयः एटा–अलीगंज मार्ग (एम0डी0आर0–98) किमी0 25.118 की दायीं पटरी पर ग्राम– राजपुर के खसरा संख्या– 171 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0616 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।**

**सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी0 –17 / 14–2–2016–800(15) / 2016, दिनांक– 09.08.2016**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी0 –17 / 14–2–2016–800(15) / 2016, दिनांक– 26.02.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 21.06.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार एटा–अलीगंज मार्ग (एम0डी0आर0–98) किमी0 25.118 की दायीं पटरी पर ग्राम– राजपुर के खसरा संख्या– 171 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0616 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात 0.1232 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

   (ख) उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद / बैंक ड्राफ्ट / आर0टी0जी0एस0 / एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

29/8/16

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (189.48 वर्गमीटर ) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा–201301
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

29/8/16

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}